किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)
(अग्रणी महाविद्यालय)
Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh (C.G.)

रायगढ़, दिनांक 26/09/2024

//दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक सूचना//

महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर अन्तर्राष्ट्रिय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के तहत "दिव्यांगजन राज्य स्तरीय" पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। जिसके अन्तर्गत उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, दिव्यांगता के क्षेत्र मे कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोक्ताओं के अतिरिक्त सर्वोत्तम जिला संवर्ग मे पुरस्कृत करने हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।

अतः अपनी जानकारी निर्धारित आवेदन पत्र प्रारूप मे डॉ. सुषमा पटेल, सहा. प्राध्यापक, वनस्पति शास्त्र के पास दिनांक 28/09/2024 तक जमा करना सुनिश्चित करें।

संलग्न– विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र।

(डॉ. सुषमा पटेल)
यूथ रेडक्रॉस प्रभारी
किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान
महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

(डॉ. प्रीतिबाला बैस)
प्राचार्य
किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान
महाविद्यालय रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय, उप संचालक समाज कल्याण जिला रायगढ़ (छ.ग.)

E-MAIL- dpsw.raigarh@gmail.com.com

रायगढ़, दिनांक20/09/2024

क्रमांक/स.क./2024–25/2588

प्रति,

1. सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख
   प्राचार्य किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़
2. समस्त स्वैच्छिक संस्थाएं
   ....

विषय :– दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2024 प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– संचालक समाज कल्याण संचालनालय, माना कैम्प रायपुर का पत्र क्रमांक/स.क./297/2024/827 रायपुर दिनांक 11.09.2024

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के तहत दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जिसके अंतर्गत उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोक्ताओं के अतिरिक्त सर्वोत्तम जिला संवर्ग में पुरस्कृत करने हेतु प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। पत्र के साथ विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश एवं आवेदन प्रपत्र संलग्न है।

अतः आपके कार्यालय/स्वैच्छिक संस्थाओं में सेवारत प्रत्येक संवर्ग के उत्कृष्ट निःशक्त कर्मचारी/निःशक्त व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं एवं निःशक्तजनों के लिये कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रस्ताव इस कार्यालय को दिनांक 30.09.2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उत्कृष्ट प्रविष्टियों को अनुशंसित कर 03 दिसम्बर 2024 अतंर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर सम्मानित किये जाने हेतु संकलित जानकारी संचालनालय रायपुर को प्रेषित किया जा सके।

संलग्न :– विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश।

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

रायगढ़, दिनांक20/09/2024

पृष्ठा. क्रमांक/स.क./2024–25/2589

प्रतिलिपि :–

1. संचालक, समाज कल्याण संचालनालय समाज कल्याण परिसर, माना कैम्प रायपुर, छ0ग0 को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला रायगढ़ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक
समाज कल्याण
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

डॉ रघुधमा पटेल
for M.a
26/9/24

कि. शास. कला एवं वि. ... रायगढ़ (छ.ग.)
591
26/9

Scanned with OKEN Scanner

समाज कल्याण संचालनालय छत्तीसगढ़

समाज कल्याण परिसर, माना कैम्प, रायपुर

Ph.No.-0771-2277901, E-mail ID- dpsw.cg@gov.in, Website- www.sw.cg.gov.in

कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ (छ.ग.)
शाखा- TR/DDSW
11 SEP 2024
अधीक्षक कलेक्टर

क्रमांक / स.क. / 297 / 2024 / 827 — रायपुर, दिनांक 11/09/2024

प्रति,

962
18/09/24

समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषय :– दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार वर्ष 2024 प्रदान करने के संबंध में ।

—::00::—

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 03 दिसम्बर "अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस" के अवसर पर **"दिव्यांगजन राज्य स्तरीय पुरस्कार"** प्रदान किये जाते है, विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश संलग्न है।

2/ दिव्यांगजनों का सामाजिक समावेशन एवं उन्हे अधिकार आधारित प्रोत्साहन के लिए यह योजना संचालित हैं। जिलान्तर्गत योजना का प्रचार–प्रसार कर उत्कृष्ट दिव्यांग कर्मचारियों, दिव्यांगता के क्षेत्र मे कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं, नियोक्ताओं के अतिरिक्त सर्वोत्तम जिला संवर्ग मे आवेदन निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त किया जाना हैं।

3/ जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा के साथ प्रत्येक संवर्ग की उत्कृष्ट प्रविष्टियां दिनांक **10.10.2024** तक इस संचालनालय को विशेष वाहक के हस्ते प्रेषित कराने का कष्ट करें, ताकि योग्य व्यक्ति / संस्था / नियोक्ता एवं जिला को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जा सके।

तदानुसार दिनांक **10.10.2024** के पश्चात् प्राप्त आवेदनो पर विचार नही किया जायेगा।

संलग्नः– निर्देश की प्रति।

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर
छत्तीसगढ, रायपुर

883
19-9-24

पृ. क्रमांक / स.क. / 297 / 2024 / 828 — रायपुर, दिनांक 11/09/ 2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ ।
2. संभाग आयुक्त, संभाग–रायपुर / बिलासपुर / बस्तर / सरगुजा / दुर्ग, छत्तीसगढ को सुचनार्थ।
3. समस्त संयुक्त / उप / सहायक संचालक, समाज कल्याण जिला कार्यालय छत्तीसगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा जिला स्तर पर दिनांक **23.09.2024** तक प्रविष्टियां आमंत्रित कर दिनांक **10.10.2024** तक संचालनालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संचालक
समाज कल्याण संचालनालय
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with OKEN Scanner

छत्तीसगढ़ शासन, समाज कल्याण विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन मंत्रालय
रायपुर छत्तीसगढ़

क्र./997/सक/25/2004-2005 रायपुर, दिनांक 26-05-2005

प्रति,

संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- निःशक्त के क्षेत्र में राज्य स्तर पुरस्कार दिये जाने बाबत्।

—00—

वर्ष 2004-2005 से राज्य शासन द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को समाज में एकीकृत करने एवं उन्हें अधिकार अनवरत प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। उक्त पुरस्कार प्रतिवर्ष "अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस" के अवसर पर दिये जायेंगे।

उक्त पुरस्कार वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 356/ब-2/2005, दिनांक 19.05.2005 द्वारा स्वीकृति दी गई है पुरस्कार योजनाओं की श्रेणियां निम्नानुसार रहेंगी :-

1. सर्वोत्तम निःशक्त कर्मचारी :- निःशक्त कर्मचारियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संरचना

क्र.	श्रेणी	संख्या	पुरस्कार
1.	दृष्टिहीन निःशक्त व्यक्ति	1	5001/- नगद प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र
2.	श्रवण निःशक्त व्यक्ति	1	5001/- नगद प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र
3.	अस्थि बाधित निःशक्त व्यक्ति	1	5001/- नगद प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात/बहुविकलांग	1	5001/- नगद प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र

2. निःशक्तजनों के सर्वोत्तम नियोक्ता :- नियोक्ता को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संरचना

क्र.	श्रेणी	संख्या	पुरस्कार
1.	दृष्टिहीन निःशक्त व्यक्ति	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
2.	श्रवण निःशक्त व्यक्ति	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
3.	अस्थि बाधित निःशक्त व्यक्ति	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात/बहुविकलांग	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र

Scanned with CamScanner
Scanned with ACE Scan
Scanned with OKEN Scanner

3. सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था :– स्वैच्छिक संस्था को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संरचना निम्नानुसार रहेगी :–

क्र.	श्रेणी	संख्या	पुरस्कार
1.	दृष्टि बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था	1	5001/– नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण–पत्र
2.	श्रवण बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था	1	5001/– नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण–पत्र
3.	अस्थि बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था	1	5001/– नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण–पत्र
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात/बहुविकलांग बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था	1	5001/– नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण–पत्र

4. निःशक्तों के लिए कार्य कर रहे सर्वोत्तम जिला :–

सभी जिलों में, उस जिले को सभी प्रकार के निःशक्त व्यक्तियों के क्षेत्र में सर्वाधिक पुनर्वास के लिए अधिनियम में प्रावधानित सुविधाओं हेतु कार्य किया हो, उस जिले को निम्नानुसार पुरस्कृत किया जावेगा :–

1. एक शील्ड 2. प्रशस्ति पत्र 3. प्रमाण पत्र

चयन प्रक्रिया :–

पुरस्कारों हेतु प्रत्येक जिले को प्रतिनिधित्व देने को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर प्रतिवर्ष 20 अगस्त के पूर्व उस जिले की सीमा अन्तर्गत सर्वोत्तम निःशक्त कर्मचारी, सर्वोत्तम नियोक्ता एवं सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था के प्रस्ताव प्राप्त किये जाएंगे इन प्रस्ताव की उत्कृष्टता मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी :–

1.	कलेक्टर	–	अध्यक्ष/या जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी
2.	उप संचालक	–	सचिव
3.	पुनर्वास अधिकारी	–	सदस्य
4.	जिला चिकित्सा अधिकारी	–	सदस्य
5.	उप संचालक, जनसम्पर्क अधिकारी	–	सदस्य
6.	महाप्रबन्धक जिला उद्योग	–	सदस्य
7.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	–	सदस्य
8.	पुनर्वासित निःशक्तजन प्रत्येक संवर्ग से एक	–	सदस्य
9.	जिला रोजगार अधिकारी	–	सदस्य

जिला स्तर समिति प्रस्ताव प्रत्येक पुरस्कार हेतु प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अधिकतम 3 नामांकन संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को 31 अगस्त के पूर्व भेजेगी।

राज्य स्तरीय पुरस्कार :– राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए निम्नानुसार समिति गठित होगी :–

1.	मंत्री समाज कल्याण	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, समाज कल्याण	–	सचिव

Scanned with CamScanner

Scanned with ACE Scan

Scanned with OKEN Scanner

3. न्यायालय के सेवा निवृत्त जज — सदस्य
4. निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता (तीन) प्रत्येक संवर्ग से — सदस्य
5. संस्कृति विभाग के सचिव — सदस्य
6. मानव अधिकार आयोग का अधिकारी — सदस्य
7. आयुक्त निःशक्तजन — सदस्य
8. सचिव, स्वास्थ्य विभाग — सदस्य
9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा — संयोजक

प्रत्येक जिले से प्राप्त सिफारिशों को उक्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त समिति प्राप्त प्रस्ताव पर 30 सितम्बर तक निर्णय लेगी।

सर्वोत्तम निःशक्त कर्मचारियों के चयन का मापदण्ड :–

निःशक्त कर्मचारियों के लिए 4 पुरस्कार होंगे, जो सभी प्रकार के निःशक्त कर्मचारियों के लिए एक–एक पुरस्कार होगा।

कर्मचारियों के मूल्यांकन का प्रस्ताव :–

1. उत्पादन की दर
2. उपस्थिति में समय की पाबन्दी तथा नियमितता
3. वरिष्ठ और साथी कर्मचारियों के साथ सहयोग
4. गतिशीलता, स्व–देखभाल व स्वतंत्रता की सीमा आदि
5. भौतिक पर्यावरण, उपस्कर, मशीनरी और प्रक्रिया आदि के समायोजन हेतु कोई अधिक मांग नहीं
6. निःशक्तों के संदर्भ में विशेष पारिश्रमिक हेतु कोई अतिरिक्त मांग नहीं।

सर्वोत्तम/उत्कृष्ट नियोक्ताओं का चयन करने के लिए मापदण्ड :–

निःशक्त व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने वाले उत्कृष्ट नियोक्ताओं को पुरस्कृत किया जावेगा। इसमें निःशक्त नियोक्ता/उद्यमी शामिल है। नियोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत कुल 1 पुरस्कार होगा नियोक्ताओं के बारे में निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है:–

1. यह कि नियोक्ताओं ने निःशक्त व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्वक सूझबूझ दिखाया हो।
2. यह कि जब कभी आवश्यक हो तंत्र में छोटे–मोटे समायोजन/संशोधन किया गया हो।
3. यह कि बाधा मुक्त सहित कार्यस्थल पर पर्यावरणीय संशोधन किया गया है।
4. यह कि समान कार्य के लिए जैसा कि अन्य कर्मचारियों को दी जा रही वेतन दरों सहित निःशक्त व्यक्तियों को वही सेवा शर्तें प्रदान की जा रही है।
5. यह कि जब कभी आवश्यक और संगण्य हो, ऐसे अतिरिक्त सुविधाएं अर्थात आवास तथा परिवहन आदि मुहैया कराया गया हो।

निःशक्तों के लिए कार्य रही स्वैच्छिक संस्थाओं को चयन करने का मापदण्ड :–

राज्य में उस स्वैच्छिक संस्था को पुरस्कार दिया जावेगा जो स्वैच्छिक संस्था निःशक्त व्यक्तियों के सर्वोत्तम शिक्षा, रोजगार एवं पुनर्वास निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत होनी चाहिए और निःशक्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन तथा आचरण संबंधी उनकी गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए :–

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

1. विभिन्न निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक सेवा शुरू की हो।
2. नई सेवाऐं प्रारंभ की हो।
3. वर्तमान सेवाओं को सुधारने के लिए नई कार्य–नीतियां शुरू की हो।
4. पुनर्वास में आश्रितों को अनुकरण किया हो।
5. शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए।
6. निःशक्तों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को प्रेरित करना, शामिल करना तथा भाग लेना।

प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव 31 अगस्त तक भेजेंगे। परिशिष्ट 1 से 4 तक निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर द्वारा संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को भेजा जाएगा।

निःशक्तों के लिए कर रहे सर्वोत्तम जिला के चयन करने का मापदण्ड :—

इस श्रेणी के अन्तर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार होगा। पुरस्कार एक जिले को दिया जायेगा। जिला एक यथोचित निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत होना चाहिए। साथ ही साथ निःशक्त व्यक्तियों का कार्य निष्पादन तथा कवरेज संबंधी उनकी गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए।

1. विभिन्न निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक सेवा शुरू की हो।
2. नए कार्यक्रम को निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अनुकूल बनाया हो।
3. नई सेवाऐं प्रारंभ की हो।
4. वर्तमान सेवाओं को सुधारने के लिए नई कार्य–नीतियां शुरू की हो।
5. शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए।
6. अपने जिला के क्षेत्र में "आउटरीच" सेवाओं के विस्तार करने में जिला का सहयोग।
7. निःशक्तों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को प्रेरित करना, शामिल करना तथा भाग लेना।
8. सार्वजनिक भवनों/स्थलों को निःशक्तजनों के लिए बाधारहित बनाने हेतु कार्यवाही की हो।
9. स्वयं सेवी संगठन की सेवाओं का योगदान लिया हो।
10. कृत्रिम अंग एवं संसाधनों का प्रदाय किया हो।
11. छात्रवृत्ति एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रदाय।
12. जिलों से प्रतिवेदन की प्रस्तुति।

संलग्न : परिशिष्ट 1 से 4 तक

उक्त पुरस्कार पर होने वाला व्यय मांग संख्या–34 शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण 02 समाज कल्याण–101 विकलांगों का कल्याण–0101 राज्य आयोजना (सामान्य) योजना कमांक (4114) विश्व विकलांग वर्ष–23 अन्य प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

उक्त योजना हेतु वित्त योजनान्तर्गत वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है।

(हेमंत पहारे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

Scanned with CamScanner
Scanned with ACE Scanner
Scanned with OKEN Scanner

पृष्ठां. क./998/सक/26/2004-2005 रायपुर, दिनांक 26-05-2005

1. सचिव, वित्त छत्तीसगढ़ शासन दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर को सूचनार्थ वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 358/ब-2/2005, दिनांक 19.05.2005 से स्वीकृति दी गई है।
3. आयुक्त, निःशक्तजन जिला पंचायत परिसर, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।
4. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव को राजपत्र में प्रकाशन हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन महानदी खण्ड मंत्रालय रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/रा.क./2005/1017 रायपुर दिनांक 1/06/2005

प्रतिलिपि :-

योजना आवश्यक प्रचार-प्रसार व क्रियान्वयन हेतु प्रेषित है। अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें :-

1. कलेक्टर (समस्त) छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी (समस्त) जिला पंचायत छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त) पंचायत एवं समाज कल्याण छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।

(पी. पी. सोती)
संचालक,
पंचायत एवं समाज सेवा
छत्तीसगढ़, रायपुर

Scanned with CamScanner
Scanned with ACE Scanne
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – (2)

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए निःशक्तों के नियोक्ताओं का विवरण

1. वर्ष ....
2. संगठन का नाम ....
3. क्या सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निजी ....
4. संगठन द्वारा शुरू किये गये कार्य का स्वरूप ....
5. संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरूष / महिला कुल ....
6. निःशक्त कर्मचारियों की संख्या पुरूष .... महिला .... कुल ....
7. कार्य का स्वरूप जिसमें निःशक्त व्यक्ति नियोजित किये गये हैं ....
8. क्या इनकी सेवा शर्तें वही हैं जो अन्यों के लिए ....
9. अब तक निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण और नियोजन के क्या विशेष प्रयास किये गये हैं तथा भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं ....
10. गैर निःशक्त व्यक्तियों की उत्पादकता से निःशक्त व्यक्तियों की उत्पादकता से तुलना कैसे की जाती है ....

कलेक्टर

जिला ....

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – (3)

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए जिले का विवरण

1. जिले का नाम ....

2. जिले का पत्राचार तथा टेलीग्राफिक का पता ....

3. जिले द्वारा शुरू किये गये कार्य का स्वरूप ....

4. जिले में कर्मचारियों की कुल संख्या ....
   (निःशक्ततावार कर्मचारियों की संख्या का भी संकेत दें)

5. जिले द्वारा स्थानों तथा शामिल विकलांग व्यक्तियों की संख्या सहित जिले द्वारा किये गये कार्य के ब्यौरे ....

6. पिछले 3 वर्षों के निःशक्त कल्याण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में जिले की उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा योगदान उल्लेख करें ....

7. क्या जिले ने विगत में कोई पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि ऐसा है तो उसका उल्लेख करें और संक्षिप्त विवरण दें ....

8. जिला सहित सेवा प्रदान की गई निःशक्तों की संस्था तथा कार्यक्षेत्र ....

9. संख्यात्मक उत्पादन के साथ जिले द्वारा किये गये विभिन्न कार्य कलापों को दर्शाने वाला ब्यौरा ....

कलेक्टर

जिला ....

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – (4)

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए संस्था का विवरण

1. संस्था का नाम ....
2. संस्था का पत्राचार तथा टेलीग्राफिक का पता। ....
3. संस्था द्वारा शुरू किये गये कार्य का स्वरूप ....
4. संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या ....
   (निःशक्ततावार कर्मचारियों की संख्या का भी संकेत दें)
5. संस्था द्वारा शामिल किए गए निःशक्त व्यक्तियों की संख्या तथा उनके लिए किए गए कार्य का विवरण ....
6. पिछले 3 वर्षों में निःशक्त कल्याण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में किए गए कार्य के स्वरूप, उपलब्धियों तथा योगदान का उल्लेख ....
7. क्या संस्था ने विगत में कोई पुरस्कार प्राप्त किया है। यदि ऐसा है तो उसका उल्लेख करें और संक्षिप्त विवरण दें ....
8. संख्यात्मक उत्पादन के साथ संस्था द्वारा किये गये विभिन्न कार्य कलापों को दर्शाने वाला ब्यौरा ....

कलेक्टर

जिला ....

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner